

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारिीन अधिकाऱी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/
प्रार्थीगण

बनाम

593

अप्रार्थीगण

दिनांक - 3.3.20

1 हिन्दाल 2 शेरखां पिसरान
मांडी खां 3 सफीयत पत्नी
मांडी खां 4 वरकत 5
लालाखां 6 शेकत अली 7
निजाम अली पिसरान
मोहम्मद खां 8 नियामत पत्नी
मोहम्मद खां जाति मुसलमान
निवासी आदर्श चूली
तहसील व जिला बाड़मेर।

1 जड़ाव कंवर पत्नी दीपसिंह जाति राजपूत 2 राजा खां
3 जमील खां पिसरान लांग खां 4 अमाना खां 5 ईसा
खां पिसरान मजीद खां 6 जमीयत खां पत्नी मजीद खां
7 जिन्नत पत्नी न्याल खां 8 आरभ खां 9 आरभ खां 10
हमीद खां पिसरान दीना खां 11 लतीफ खां पुत्र हसन
खां 12 आरभ पुत्र भीसल खां 13 जसोदा पत्नी अली खां
जाति मुसलमान निवासी आदर्श चूली 14 पदमाराम 15
वगताराम 16 मालाराम पिसरान चैनाराम जाति जाट 17
हठेसिंह पुत्र मेघसिंह 18 हिन्दुसिंह 19 भीखसिंह पिसरान
गोकलसिंह 20 गीताकंवर पत्नी छगनसिंह 21 प्रेमकंवर
पत्नी तेजसिंह जाति राजपूत 22 शंकराराम पुत्र धनाराम
रा.रा. निवासी आदर्श चूली तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 267/2019

दिनांक- 6.2.20

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आदर्श चूली पटवार क्षेत्र चूली तहसील व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 243/90 रकबा 05.00 बीघा, खसरा संख्या 250/90 रकबा 32.18 बीघा,
खसरा संख्या 245/90 रकबा 25.17 बीघा व खसरा संख्या 248/90 रकबा 30.00 बीघा
भूमिके चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर
को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व
अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में
खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश
दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।
कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है,
जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2020/ 594-597

दिनांक- 3.3.20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी चूली तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. हिन्दाल पुत्र मांडी खां वगैराह जाति मुसलमान निवासी आदर्श चूली तहसील व जिला
बाड़मेर।
4. विप्रार्थी जड़ाव कंवर पत्नी दीपसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी आदर्श चूली तहसील व
जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

